International Journal of Sociology and Humanities

ISSN Print: 2664-8679
ISSN Online: 2664-8687
Impact Factor: RJIF 8
IJSH 2023; 5(1): 56-60
www.sociologyjournal.net
Received: 11-03-2023
Accepted: 19-04-2023

संदीप कुमार गुर्जर
शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
संदीप कुमार गुर्जर
शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

राजस्थान में देवनारायण योजना की प्रभावशीलता का अध्ययन

संदीप कुमार गुर्जर

DOI: https://doi.org/10.33545/26648679.2023.v5.i1a.45

सारांश
समाज कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत समाज के दुर्बल वर्गो के लिए आयोजित वह सेवाएँ आती है, जो इन वर्गो की सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक स्थिति के उत्थान के लिये आयोजित की जाती है। सरकार द्वारा कमजोर एवं दुर्बल वर्गो को समाज कल्याण योजनाओं से जोड़ा जाता है। समाज कल्याण के कार्यक्षेत्र में बालकों, महिलाओं, वृद्धों, अशक्तों, बाधित व्यक्तियों, पिछड़ी हुई जातियों, आदिवासियों आदि के लिए सामाजिक सेवाओं और समाज कल्याण उपायों की व्यवस्था आती है। सामाजिक न्याय एवं कल्याण के महत्व एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत शोध अध्ययन में राजस्थान राज्य में संचालित देवनारायण योजनाओं की प्रभावशीलता का अध्ययन करना है जिसमें प्रमुख बल देवनारायण योजना पर है। भारत एक संघात्मक राज्य है। अतः यहां शक्तियाँ राज्य एवं केन्द्र के मध्य बंटी हुई है। केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर सामाजिक प्रशासन के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अहम् भूमिका निभाता है। समाज के पिछड़े वर्गों के संरक्षण एवं कल्याण हेतु तथा उनके शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए राजस्थान सरकार ने देवनारायण योजना का क्रियान्वयन किया। प्रस्तुत शोध में राजस्थान के भरतपुर एवं करौली जिले में संचालित देवनारायण योजना से लाभ प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार किया गया है। उनसे कुछ सामान्य प्रश्नों के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही देवनारायण योजनाओं की जानकारी ली गई हैं। जिसमें इन योजनाओं की जानकारी एवं लाभ आपको मिला हैं या नहीं है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार के दौरान उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास भी किया गया है कि वर्तमान देवनारायाण योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन चाहते है या नहीं।

कूटशब्द : समाज कल्याण, सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक स्थिति, बालकों, महिलाओं, वृद्धों, अशक्तों, देवनारायण योजना

प्रस्तावना
कल्याणकारी राज्य सरकार का एक रूप है जिसमें राज्य समान अवसर के सिद्धांतों, धन के समान वितरण और नागरिकों के लिए सार्वजनिक जिम्मेदारी के आधार पर नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक भलाई की रक्षा करता है और उन्हें बढ़ावा देता है, जो लोग अच्छे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वयं जुटा पाने में असमर्थ है।[1] कल्याणकारी राज्य में राज्य की प्रगति का मूल्यांकन उसके नागरिकों की प्रगति से किया जाता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति उचित ढंग से करना, जिससे कि वह सुखी और संतोषजनक जीवन व्यतीत कर सके, कल्याणकारी राज्य का प्रमुख उद्देश्य है।[2]
लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा अत्यन्त प्राचीनकाल से ही हमारे देश में रही है। प्राचीन युग में राज्य को नैतिक कल्याण का साधन माना जाता था। रामायण काल में तो राम–राज्य की अवधारणा इसी लोककल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त पर आधारित थी। हमारे धार्मिक ग्रन्थों में यहां तक लिखा है कि जो राजा अपनी प्रजा का हित नहीं चाहता और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह नरक का अधिकारी होता है। चाणक्य हो या फिर अरस्तु या प्लेटो, इन्होंने भी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया है।[3] लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य किसी विशेष वर्ग का कल्याण न होकर सम्पूर्ण जनता का कल्याण होता है। इस तरह सम्पूर्ण जनता को केन्द्र मानकर जो राज्य कार्य करता है, वह लोक कल्याणकारी राज्य है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से यह स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। संविधान की प्रस्तावना भारतीयों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक–न्याय सुरक्षित करने का वादा करती है। राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों से यह स्पष्ट है कि राज्य का लक्ष्य सामाजिक हित है।[4]

राजस्थान सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों व विशेष पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास की अनेक प्रकार की योजनायें संचालित की है। जस्टिस चौपड़ा कमेटी की सिफारिशों की क्रियान्विति हेतु गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों के तीव्र विकास हेतु देवनारायण योजना वर्ष 2008–09 में विशेष पैकेज के रूप में प्रारम्भ की गई। योजना के अन्तर्गत गुर्जर बाहुल्य पाँच जिलों क्रमशः धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ एवं करौली की 13 तहसीलों यथा धौलपुर की सेपऊ, बाडी, अलवर की थानागाजी, बानसूर, राजगढ़, अलवर, सवाई माधोपुर की खण्डार व सवाई माधोपुर, झालावाड़ की झालरापाटन, अकलेरा, खानपुर, करौली की सपोटरा, नादौती तहसीलों में विकास कार्य संबंधित विभागों के माध्यम से रोकने हेतु वर्ष 2008–09 में योजना तैयार की गई। वर्ष 2010–11 से देवनारायण योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में संचालित है। वर्ष 2008–09 से दिसम्बर 2021 तक देवनारायण योजना में क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों एवं योजनाओं पर कुल 1524.53 करोड़ रूपये का व्यय हो चुका है। वर्ष 2021–22 में 1739.44 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है। जिसका आवंटन संबंधित विभागों को किया जा चुका है।[5]

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ

सफल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना निर्माण अति आवश्यक है। समस्या विशेष के समाधान के लिए एक उत्कृष्ट योजना निर्माण व उनका सफल क्रियान्वयन होना जरूरी है। विभाग द्वारा भी असहायों के लिए उपयोगी योजनाओं का संचालन किया जाता है। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं; उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं – एस.सी., एस.टी.; डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, छात्रावास सुविधा, अनुप्रति योजना, वृद्धावस्था विधवा एवं विशेष योग्यजन योजना, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, असहयोग एवं उपहार योजना, राज्य महिला सदन/नारी निकेतन, उज्जवला योजना, पालनहार योजना, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड, नवजीवन योजना, नशामुक्ति कार्यक्रम, देवनारायण योजना, टेलीफोन हैल्पलाईन की स्थापना आदि।

देवनारायण योजना के अन्तर्गत प्रमुख योजनायें

देव नारायण योजना के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है–

- **देवनारायण उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना –** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक उत्थान हेतु यह योजना लागू की गई है।
- **देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना–** इस योजना का लाभ विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राओं को प्राप्त होता है।
- **देवनारायण गुरुकुल योजना –** इस योजना का लाभ विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राओं को प्राप्त होता है।
- **देवनारायण प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना –** इस योजना का लाभ भी विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए है। योजना के अन्तर्गत अधिकतम सहायता राशि 3,550 रुपये प्रतिवर्ष देय है।
- **देवनारायण विशेष पिछड़ा वर्ग अनुप्रति योजना –** इसके अन्तर्गत भी विशेष पिछड़े वर्ग के छात्रों जो राजस्थान के मूल निवासी हो।[6]

शोध के उद्देश्य

इस अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों के अन्तर्गत कार्य करना प्रस्तावित है:–

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की वर्तमान स्थिति व विकास के लिए संचालित देवनारायण योजना का मूल्यांकन करना।
2. देवनारायण योजना के तहत् लाभान्वित लाभार्थियों की प्रतिक्रियाओं का अनुभवमूलक विश्लेषण करना।

शोध अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोध कार्य में शोध सामग्री का संकलन दो प्रकार के स्त्रोतों प्राथमिक तथा द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से किया गया है। प्राथमिक स्त्रोतों के एकत्रीकरण हेतु देवनारायण योजना की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से प्राथमिक तथ्य प्राप्त किए गए हैं। इसके पश्चात् तथ्यों को एकत्रित करने एवं उनका विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। अनुसंधान के अन्तर्गत मुख्य द्वितीयक स्त्रोतों के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त विकास निगम आदि के वार्षिक प्रतिवेदनों से प्राप्त जानकारी व आंकडों का दोहन करने का प्रयास किया है। शोध तकनीक में साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया है। अनुभवमूलक अध्ययन एवं सूचना एकत्रण हेतु दैव निदर्शन की सुविधाजनक एवं उद्देश्यात्मक दैव निदर्शन पद्धति का उपयोग किया गया है। इस शोध कार्य में लाभान्वितों के निदर्शन का आकार 200 लिया गया है। प्राप्त तथ्यों को प्रस्तुत शोध में यथास्थान प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। तथ्यों के विश्लेषण हेतु सारणीयन का प्रयोग किया गया है। तथ्यों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षो को शोध में यथा स्थान वर्णित करने का प्रयत्न किया गया है।

शोध अध्ययन का क्षेत्र एवं प्रकृति

अध्ययन का भौगोलिक रूप से क्षेत्र राजस्थान प्रदेश के भरतपुर एवं करौली जिले तक सीमित है। जिसके अन्तर्गत देवनारायण योजना से लाभान्वित लाभार्थियों से साक्षात्कार करके शोध सामग्री तथा तथ्यों का संकलन किया गया है। प्रस्तुत शोध की प्रकृति शोध विकास एवं सुधार की है। इस शोध में विभाग द्वारा संचालित देवनारायण योजना का अध्ययन किया गया है। इस योजना से लाभान्वित वर्गों की वास्तविक स्थिति शोध के क्षेत्र में शामिल है। अन्त में योजनाओं के सफल निष्पादन में आने वाली समस्याओं को भी खोजा गया है व उनके व्यवहारिक समाधान खोजने का प्रयास किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण

प्रस्तुत अनुभवमूलक अध्ययन के लिए सुविधाजनक एवं दैव निदर्शन पद्धति से भरतपुर एवं करौली जिले का चयन किया गया है। इस शोध कार्य में लाभान्वितों के निदर्शन का आकार 200 (100 उत्तरदाता भरतपुर से 100 उत्तरदाता करौली जिले से) लिया गया है। प्राप्त तथ्यों को प्रस्तुत शोध अध्ययन में यथास्थान प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। तथ्यों के विश्लेषण हेतु सारणीयन का प्रयोग किया गया है। उत्तरदाताओं से देवनारायण योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछे गये है कि क्या वास्तव में वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित देवनारायण योजनाओं का लाभ नागरिको को मिल रहा है एवं किस प्रकार ये योजनायें समाज कल्याण में प्रभावी सिद्ध होगी। निम्न तालिकायें इस प्रकार है:–

तालिका 1: क्या आप जानते है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से समाज का कल्याण हुआ है?

क्र. सं.	संचालित योजनाओं से समाज का कल्याण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	182	91%
2.	नहीं	13	6-5%
3.	कोई उत्तर नहीं	5	2-5%
	कुल	200	100%

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 91 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से समाज का कल्याण हुआ है, जबकि 6.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस योजना की जानकारी नहीं है, एवं 2.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है। तालिक से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता मानते है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से समाज का कल्याण हुआ है।

तालिका 2: देवनारायण योजना के बारें में आप क्या जानते है?

क्र.सं.	देवनारायण योजना के बारे में जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	शैक्षिक उत्थान में उपयोगी	12	6-00%
2.	विशेष पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु ज्यादा लाभकारी	52	27-5%
3.	आर्थिक उत्थान में उपयोगी	9	4-50%
4.	उपरोक्त सभी	124	62-00%
	कुल	200	100%

उपरोक्त तालिका में देवनारायण योजना के बारे में जानकारी के आधार पर चयनित कुल 200 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 62 प्रतिशत उत्तरदाता देवनारायण योजना के बारे में कहते है कि यह योजना शैक्षिक उत्थान में उपयोगी है, विशेष पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु ज्यादा लाभकारी है एवं आर्थिक उत्थान में भी उपयोगी रही है। जबकि 27.5 प्रतिशत उत्तरदाता देवनारायण योजना को केवल विशेष पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु ज्यादा लाभकारी मानते है। इसके पश्चात् 6 प्रतिशत देवनारायण योजना को केवल शैक्षिक उत्थान के लिये उपयोगी एवं 4.50 प्रतिशत उत्तरदाता आर्थिक उत्थान के लिये उपयोगी मानते है। तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता देवनारायण योजना के बारे में जानते है। उत्तरदाताओं को पता है कि समाज कल्याण के क्षेत्र में कमजोर एवं दुर्बल वर्गो के नागरिकों के कल्याण हेतु देवनारायण योजना सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योजना सिद्ध हुई है।

तालिका 3: देवनारायण योजना का आपको लाभ प्राप्त हुआ है?

क्र.सं.	देवनारायण योजना का लाभ	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	156	78-00%
2.	नहीं	35	17-50%
3.	कोई उत्तर नहीं	9	4-50%
	कुल	200	100%

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 78.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार देवनारायण योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। जबकि 17.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है, एवं 4.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संदर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं को देवनारायण योजना का लाभ प्राप्त हुआ है।

तालिका 4: क्या देवनारायण योजना विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है।

क्र. सं.	देवनारायण योजना विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए लाभकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	166	83%
2.	नहीं	24	12%
3.	कोई उत्तर नहीं	10	5%
	कुल	200	100%

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 83.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि देवनारायण योजना विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। जबकि 12.00 प्रतिशत उत्तरदाता देवनारायण योजना को विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए लाभकारी नहीं मानते है। 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया। तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने देवनारायण योजना को विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध बताया है।

तालिका 5: यदि हाँ तो किस प्रकार से लाभकारी है –

क्र.सं.	किस प्रकार लाभकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	आर्थिक सशक्तिकरण	17	8-50%
2.	सामाजिक पहचान	39	19-50%
3.	शैक्षिक स्तर में सुधार	12	6-00%
4.	उपरोक्त सभी	98	49-00%
	कुल	166	83-00%

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 83.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने देवनारायण योजना को विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए लाभकारी बताया है जब शोधार्थी ने पूछा कि किस प्रकार से लाभकारी है तो इनमें से सर्वाधिक 49.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक पहचान एवं शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु देवनारायण योजना को विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध माना है, इसके पश्चात् 19.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने केवल सामाजिक पहचान के लिये, 8.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आर्थिक सशक्तिकरण के लिये एवं 6.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने केवल शैक्षिक स्तर में सुधार के लिये देवनारायण योजना को विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए लाभकारी बताया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि देवनारायण योजना को विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध मानने वालों में से सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक पहचान एवं शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु देवनारायण योजना को लाभकारी सिद्ध माना है।

तालिका 6: क्या शैक्षिक विकास के क्षेत्र में देवनारायण गुरूकुल योजना विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये उपयोगी सिद्ध हुई है?

क्र. सं.	देवनारायण गुरूकुल योजना विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये उपयोगी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	168	84%
2.	नहीं	9	4-5%
3.	कोई उत्तर नहीं	23	11-5%
	कुल	200	100%

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 84.00 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि शैक्षिक विकास के क्षेत्र में देवनारायण गुरूकुल योजना विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये उपयोगी सिद्ध हुई है। जबकि 4.50 प्रतिशत उत्तरदाता इस योजना को विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये उपयोगी नहीं मानते है। वही 11.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस योजना के उपयोगी सिद्ध होने के

संदर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया। तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता मानते है कि शैक्षिक विकास के क्षेत्र में देवनारायण गुरूकुल योजना विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये उपयोगी सिद्ध हुई है।

तालिका 7: क्या आपको बयाना जिला भरतपुर में छात्राओं हेतु कॉलेज मय हॉस्टल योजना के बारें में जानकारी है?

क्र. सं.	बयाना जिला भरतपुर में छात्राओं हेतु कॉलेज मय हॉस्टल योजना की जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	148	74%
2.	नहीं	37	18-5%
3.	कोई उत्तर नहीं	15	7-5%
	कुल	200	100%

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 74.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को बयाना जिला भरतपुर में छात्राओं हेतु कॉलेज मय हॉस्टल योजना के बारें में जानकारी है। जबकि 18.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वही 7.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संदर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया। तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं को बयाना जिला भरतपुर में छात्राओं हेतु कॉलेज मय हॉस्टल योजना के बारें में जानकारी है।

तालिका 8: क्या इस योजना से आप लाभान्वित है?

क्र. सं.	बयाना जिला भरतपुर में छात्राओं हेतु कॉलेज मय हॉस्टल योजना से लाभान्वित	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	119	59-5%
2.	नहीं	65	32-5%
3.	कोई उत्तर नहीं	16	8%
	कुल	200	100%

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 59.50 प्रतिशत उत्तरदाता बयाना जिला भरतपुर में छात्राओं हेतु कॉलेज मय हॉस्टल योजना से लाभान्वित हो चुके है। 32.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। वही 8.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता बयाना जिला भरतपुर में छात्राओं हेतु कॉलेज मय हॉस्टल योजना से लाभान्वित हो चुके है।

तालिका 9: क्या आपको देवनारायण योजना के अन्तर्गत नादौती जिला करौली में जो कॉलेज स्वीकृत किया गया है उसके बारें में जानकारी है?

क्र. सं.	देवनारायण योजना के अन्तर्गत नादौती जिला करौली की जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	132	66%
2.	नहीं	46	23%
3.	कोई उत्तर नहीं	22	11%
	कुल	200	100%

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 66.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को देवनारायण योजना के अन्तर्गत नादौती जिला करौली में जो कॉलेज स्वीकृत किया गया है उसके बारें में जानकारी है। जबकि 23.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वही 11.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संदर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया। तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं को देवनारायण योजना के अन्तर्गत नादौती जिला करौली में जो कॉलेज स्वीकृत किया गया है उसके बारें में जानकारी है।

तालिका 10: क्या इस योजना से आप लाभान्वित है?

क्र. सं.	देवनारायण योजना के अन्तर्गत नादौती जिला करौली से लाभान्वित	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	113	56-5%
2.	नहीं	64	32%
3.	कोई उत्तर नहीं	23	11-5%
	कुल	200	100%

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 56.50 प्रतिशत उत्तरदाता देवनारायण योजना के अन्तर्गत नादौती जिला करौली में जो कॉलेज स्वीकृत हुआ है उससे लाभान्वित हुये है। 32.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। वही 11.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता देवनारायण योजना के अन्तर्गत नादौती जिला करौली में जो कॉलेज स्वीकृत हुआ है उससे लाभान्वित हुये है।

तालिका 11: आप देवनारायण योजनाओं में क्या परिवर्तन चाहते है?

क्र.सं.	देवनारायण योजनाओं में परिवर्तन	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	विकलांगों को विशेष पैकेज की सुविधा दी जानी चाहिये	12	6%
2.	साईकिल एवं स्कूटी वितरण में जरूरतमंद महिलाओं एवं वृद्धों को भी शामिल किया जाना चाहिये	5	2-5%
3.	सहायता राशि आर्थिक स्थिति के आधार पर दी जाये	7	3-5%
4.	उपरोक्त सभी	176	88%
	कुल	200	100%

उपरोक्त तालिका में कुल 200 उत्तरदाताओं से पूछा गया कि आप वर्तमान में संचालित देवनारायण योजना किस प्रकार का परिवर्तन चाहते है। तो इनमें से सर्वाधिक 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि विकलांगों को विशेष पैकेज की सुविधा मिलनी चाहिये, साईकिल एवं स्कूटी वितरण में जरूरतमंद महिलाओं एवं वृद्धों को भी शामिल किया जाना चाहिये एवं सहायता राशि आर्थिक स्थिति के आधार पर दी जानी चाहिये। वही 6 प्रतिशत उत्तरदाता केवल विकलांगों को विशेष पैकेज की सुविधा देने के पक्ष में है, 2.5 प्रतिशत उत्तरदाता चाहते है कि साईकिल एवं स्कूटी वितरण में जरूरतमंद महिलाओं एवं वृद्धों को भी शामिल किया जाये एवं 3.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि सहायता राशि आर्थिक स्थिति के आधार पर दी जानी चाहिये। तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकतर सभी उत्तरदाता चाहते है कि समाज की स्थिति के आधार पर देवनारायण योजनाओं में परिवर्तन करके जरूरतमंद नागरिकों के अनुसार योजना का लाभ दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विकास एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में सरकार द्वारा अनेक योजनायें संचालित की जा रही है। प्रस्तुत शोध में भरतपुर एवं करौली जिले में देवनारायण योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कुल 200 लाभान्वितों को अध्ययन में शामिल किया गया है।

प्रस्तुत शोध में चयनित लाभान्वित वर्ग का अनुभवमूलक अध्ययन का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता मानते है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से समाज का कल्याण हुआ है। सर्वाधिक उत्तरदाता देवनारायण योजना के बारे में जानते है क्योंकि उनको पता है कि समाज कल्याण के क्षेत्र में कमजोर एवं दुर्बल वर्गो के नागरिकों के कल्याण हेतु देवनारायण योजना सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योजना सिद्ध हुई है। देवनारायण योजना को विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने लाभकारी सिद्ध बताया है। देवनारायण योजना को विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध मानने वालों में से सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक पहचान एवं शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु इस योजना को लाभकारी सिद्ध माना है। सर्वाधिक उत्तरदाता देवनारायण गुरूकुल योजना के बारे में जानते है एवं मानते है कि शैक्षिक विकास के क्षेत्र में देवनारायण गुरूकुल योजना विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये उपयोगी सिद्ध हुई है। सर्वाधिक उत्तरदाताओं को बयाना जिला भरतपुर में छात्राओं हेतु कॉलेज मय हॉस्टल योजना के बारें में जानकारी है एवं सर्वाधिक उत्तरदाता इस योजना से लाभान्वित हो चुके है। सर्वाधिक उत्तरदाताओं को देवनारायण योजना के अन्तर्गत नादौती जिला करौली में जो कॉलेज स्वीकृत किया गया है उसके बारें में जानकारी है एवं उससे लाभान्वित हुये है। अधिकतर उत्तरदाता चाहते है कि समाज की स्थिति के आधार पर देवनारायण योजनाओं में परिवर्तन करके जरूरतमंद नागरिकों के अनुसार योजना का लाभ दिया जाना चाहिये।

संदर्भ

1. मानचंद खंडेला – मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय, प्वाईंटर पब्लिशर्स, 2008, पृ. 51
2. महेश अन्नापुरे – सामाजिक न्याय कल्याणकारी योजना, साकेत प्रकाशन, दिल्ली, 2017, पृ. 15–16
3. डॉ. श्यौराज सिंह बेचैन – सामाजिक न्याय और दलित साहित्य, वानी प्रकाशन, 2014, पृ. 35
4. ब्रुश सी. जॉनसन – सोशियल वेलफेयर : पॉलिसी एण्ड एडवोकेसी, सेज पब्लिकेशन इंडिया, नई दिल्ली, 2015, पृ. 85
5. राजस्थान सरकार – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग : वार्षिक प्रतिवेदन (2021–22)
6. राजस्थान सरकार – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग : वार्षिक प्रतिवेदन (2021–22)